

राजस्थान  
2/1/73

संख्या  
= = 1/13

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रेशन हेतु

# आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

## किशोर बुक डिपो

गवर्नमेंट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग,

जयपुर-302 001

कोषाध्यक्ष  
विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड, जयपुर

Handwritten signature

सचिव

विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड, जयपुर (राज.)

(प्राप्त) विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड, जयपुर (राज.)

विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड, जयपुर (राज.)

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के  
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श


संघ-विधान पत्र  
तथा  
विधान ( नियमावली )

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-


1. यह आदर्श विधान ( नियमावली ) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो। प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
2. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
3. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
4. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
5. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
6. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
7. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
8. धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इन अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-  
पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, 1[खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक विचारों के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या कक्षा-नालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
9. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
10. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावें, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संगठन निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावें। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पामपोर्ट साइज फोटो चस्मा की जाकर प्रमाणित करवाया जावे।
11. आवेदन पत्र अधिस्त पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

2

  
सचिव  
विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड़, जयपुर (राज.)

कोषाध्यक्ष  
विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड़, जयपुर

  
अध्यक्ष  
विवेक शिक्षा समिति  
कालवाड़, जयपुर (राज.)

संलग्न

13. आवेदन-पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ-पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना-पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जाये।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ट्रेज्युएट होने आवश्यक है।
19. अन्य संस्थाओं जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।

रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही चालान जनरेंट कराके रजिस्ट्रार संस्थाएँ के हस्ताक्षर एवं निर्धारित पंजिका में इन्द्राज के पश्चात् ही SBBJ Bank/अधिकृत बैंक में जमा कराया जायेगा तथा जमा चालान की प्रतियाँ रजिस्ट्रार संस्थाएँ कार्यालय में प्रस्तुत की जाये।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थाएँ,

जयपुर राजस्थान

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है विवेक शिक्षा

समिति का 1915


के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

संलग्न : संघ विधान-पत्र

तथा विधान (नियमावली)

भवदीय



(अध्यक्ष/मंत्री)

विवेक शिक्षा समिति  
कालिका, जयपुर

विवेक विद्या समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम विवेक विद्या समिति  
कालवाड, जयपुर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम पोस्ट कालवाड  
तथा कार्यक्षेत्र:- जोबनेर रोड जयपुर है  
तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-



1. बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना
2. समस्त नागरिकों के वैश्विक विकास के लिये काम करना
3. स्कूलों को संचालन कर, गलतियों के संशोधन विकास हेतु कार्य करना।
4. पिछड़े वर्ग, S.C, S.T, के द्वारा/द्वाराओं को शिक्षा प्रदान करना।
5. बालकों में खेल कूद की भावनाएँ जागृत करना
- 6.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Deepak Chaudhary

Madam Singh Joshi  
मंत्री

Kunal  
कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष Deepak Chaudhary

Madam Singh Joshi  
मंत्री

Kunal  
कोषाध्यक्ष

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्रीमती इन्दु चौधरी W/O श्री योगेश	अध्यक्ष	370 कारखाना, जामपुर कालवाड रोड, जामपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पदमसिंह टाका W/O श्री गोपी राम	समाज सेवा	1, दाका नगर, खीरमी रोड, जामपुर	मंत्री
3.	श्री कैलाश चन्द नांस W/O श्री रतन लाल कालवा	प्रडिक्ट सुविधा वितरण	16 म. मोदी कालोनी कालवाड रोड, जामपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री सुरेशीलाल शर्मा W/O श्री गोविन्द शर्मा	अध्यक्ष	बिकेट विहार कालोनी कालवाड - जामपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री सुतारश शर्मा श्री अरुण शर्मा	अध्यक्ष	Wall-Pan-Kharb Road Dist. Jampur-12	सदस्य
6.	श्रीमति अषा पट्टण W/O श्री कर्ण सिंह	समाज सेवा	रलाटन-4, दाका नगर, सिरसी रोड, जामपुर	उपाध्यक्ष
7.	श्रीमती शीमा चौधरी W/O श्री अहंदा सिंह	समाज सेवा	W/O अहंदा सिंह, रतन कालोनी, हसनपुरा, जामपुर	सदस्य
8.	श्री रामस्वरूप W/O श्री लक्ष्मण	व्यवहार	न्यकरा नगर, VIII-01 धानमगा, जामपुर	सदस्य
9.	कालमाता मत्त W/O श्री जयन्त	समाज सेवा	मु.पो. कालवाड सरला रोड जामपुर	"

6

अध्यक्ष  
Chauhan

मंत्री  
Bhadani

कोषाध्यक्ष  
Kaur

अध्यक्ष  
Chauhan

मंत्री  
Bhadani

कोषाध्यक्ष  
Kaur

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	कजोड रवी W/O मलेमान रवी	इंडिवर	मु.पो. कश्मासर वाधा - देगवाल 1 जिला - जामपुर (राज)	सदस्य
11.	रमेश कुमार गुप्ता W/O मोहन लाल गुप्ता	सर्विस प्रोडिक्ट	डी-11, सिडप कालोनी वेरु नगर, जामपुर-12	"
12.	अरविना पारीक W/O श्री अरवि दयाल पारीक	अध्यक्ष	सुहसपुरी कालोनी जिला - जामपुर निवाड रोड जामपुर	"
13.	कैलाश चन्द कुंजर W/O श्री रामलाल कुंजर	सदस्य	168, विजयसिंह पथिक नगर कालवाड रोड, जामपुर-12	"
14.	सजिद कुमार बाजोडिया W/O श्री नैमीचन्द्र बा	समाज सेवा	मु.पो. कालवाड बर-विज जामपुर केले अ मोहम्मद शरवत	"
15.	श्रीमती सुवीण लता	अध्यक्ष	D-44 अजयम कालोनी वेरु नगर (जामपुर)	"

7

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती इन्दु चोपड़ा	अध्यापिका	A-370, कल्याणी, गोविन्दपुरा, कालवाड जमपुर रोड	<i>Pudley Chaudhary</i>
2.	श्री प्रमोदसिंह का अ/श्री गोपी राम	समाजसेवा	टाका नगर, सीरी रोड, जयपुर	<i>Badami Singh</i>
3.	श्री कैलाश चन्द कपूर अ/श्री रतन लाल कपूर	प्राइवेट सार्वजनिक वकील	16A, मोदी कालोनी कालवाड रोड जमपुर	<i>Kaishor</i>
4.	श्रीमती अशा पटेल अ/श्री ही कर्ण सिंह चौधरी	समाजसेवा सेवक	प्लॉट नं०-4, टाका नगर, सिस्मी रोड, जमपुर	<i>Kaishor</i>
5.	श्रीमती रीमा अ/श्री महेन्द्र सिंह	समाजसेवा सेवक	1/0 श्री महेन्द्र सिंह रतन कॉटेज, जमपुर	<i>Kaishor</i>
6.	श्री कजरंग अ/श्री शिरधारी लाल	समाजसेवा	मु.पो. कालवाड विवेक विहार कालोनी कालवाड	<i>Kaishor</i>
7.	श्री सुवर्ण लाल अ/श्री हेमा राम	समाजसेवा	मु.पो. कालवाड जिला - जयपुर	<i>Kaishor</i>
8.	श्री रामेश्वर राय अ/श्री लक्ष्मण	छापाखाना	चमराभर, 11/11-Post बान्सा, जयपुर	<i>Kaishor</i>
9.	श्रीमती मेल अ/श्री राजनीत	समाजसेवा	मु.पो. कालवाड मण्डा रोड जयपुर	<i>Kalyan</i>

*Pudley Chaudhary*  
अध्यक्ष

*Badami Singh*  
मन्त्री

*Kaishor*  
कोषाध्यक्ष

*Pudley Chaudhary*  
अध्यक्ष

*Badami Singh*  
मन्त्री

*Kaishor*  
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	कजोड रवॉ अ/श्री सनेमान रवॉ	इंजिनियर	मु.पो. करणसर वामा रेनवाला जिला - जयपुर (राज.)	<i>Kaishor</i>
11.	श्री. निशा अ/श्री उज्ज्वल अलवार	समाजसेवा	1/0 श्री उज्ज्वल अलवार इन्ड्रा बाजार कालवाड	<i>Kaishor</i>
12.	श्रीमती लाला राम अ/श्री गोविन्द चमड़ा	अध्यापिका	विवेक विहार कालोनी कालवाड (जयपुर)	<i>Kaishor</i>
13.	श्री राजेश अ/श्री नमी चन्द कालोनी	समाजसेवा सेवा	मु.पो. कालवाड जिला जयपुर (राज.)	<i>Kaishor</i>
14.	श्री शशिधर अ/श्री राम शर्मा	समाजसेवा	1/0 श्री शशिधर अ/श्री राम शर्मा P. P. Khora Road Dist. Jaipur (Ra) Pin 302002	<i>Kaishor</i>
15.	श्री सुनील अ/श्री कल्याण	समाजसेवा	सुनील कुमार अ/श्री कल्याण मीना मोहल्ला कालवाड जयपुर	<i>Kaishor</i>
16.	श्री कैलाश चन्द अ/श्री राज लाल अजरी	अध्यापक कलाशाला	168, विजय सिंह पार्क नगर, कालवाड रोड जयपुर	<i>Kaishor</i>
17.	श्रीमती राम मीना अ/श्री जाति राम मीना	सर्वीस प्राइवेट	मु.पो. करणसर वामा रेनवाला जिला - जयपुर	<i>Kaishor</i>
18.	श्री राजेश अ/श्री मोहन लाल गुप्ता	सर्वीस	श्री. मो. मजप कालोनी नेहवार, जयपुर-14	<i>Kaishor</i>

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19	श्री शम्भू देवाला पारीक	इंजिनियर	श्री शम्भू देवाला पारीक प्लॉट नं. 5, अ. 8, 24 परी नेराजी की चकड़ी, डी. 29/8	शम्भू देवाला
20	श्री गोविन्द शम्भू श्री भोवा शम्भू	शुभ्राज शेवा	विवेक विहार मोन्सोनी कालवाड	गोविन्द शम्भू
21	श्रीमती लक्ष्मी देवी	गृहणी	कन्या श्रीमती काली बेदा नगर जयपुर	लक्ष्मी देवी
22				
23				
24				
25				
26				
27				

10

अध्यक्ष  
Rajesh Chawla

Sadam Singh

मंत्री

Kulke

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष  
Rajesh Chawla

अध्यक्ष

Sadam Singh

मंत्री

Kajlan

कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				

11

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.	1. संस्था का पंजीकृत क्रमांक	453		
	2. संस्था का नाम	विवेक शिक्षा समिति		
38.	3. निस्त दस्तावेज	16		
	4. दस्तावेज की तिथि	29-9-07		
39.	5. दिनांक पंजीजन			
40.	6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार			

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी ज्योपित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

*(साक्षी)*  
*(साक्षी)*

1. हस्ताक्षर  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
 रामभोजन शर्मा  
 अद्वैत 5  
 P.No-222, करवी विहार,  
 अद्वैत, रोड, जयपुर।

2. हस्ताक्षर  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
 योगेश बिन्दा  
 P.N-A-370 करवी  
 गोविन्दपुरी, जयपुर।

**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC**  
**JAIPUR**  
**17 SEP 2007**

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा रजिस्ट्रार अधिकाारी द्वारा प्रमाणित करना होगा।

विवेक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

**विधान (नियमावली)**

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम विवेक शिक्षा समिति समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।  
कालवड जयपुर

2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय गुरु पौरश्रकालवड तथा कार्यक्षेत्र:- जोसनेट रोड जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना।

2. समस्त नागरिकों के कौटुंबिक विकास के लिए कार्य करना।

3. विद्यालय संचालन करे बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।

4. पिछड़ा वर्ग, S.C., S.T. के बच्चों/द्वाराओं को शिक्षा प्रदान करना।

5. कालवड में कालवड की भावनाएं जगृत करना।

6.

उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्णतः कोस लाभ निहित नर है।

अध्यक्ष *(Signature)* अध्यक्ष *(Signature)* अध्यक्ष *(Signature)* अध्यक्ष *(Signature)*

कोषाध्यक्ष *(Signature)* कोषाध्यक्ष *(Signature)* कोषाध्यक्ष *(Signature)* कोषाध्यक्ष *(Signature)*

7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

14

6. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :-
- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
  - 2- बालिग हों।
  - 3- पगल, दीवानलिये न हों।
  - 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
  - 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-
- 1- संरक्षक
  - 2- विशिष्ट
  - 3- सम्माननीय
  - 4- साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)
6. सदस्यों द्वारा प्रदान शुल्क व चन्दा :- उपनिषय संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-
- |              |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| 1- संरक्षक   | राशि..... 1152/- | वार्षिक/आजन्म |
| 2- विशिष्ट   | राशि..... 582/-  | वार्षिक/आजन्म |
| 3- सम्माननीय | राशि..... 2102/- | वार्षिक       |
| 4- साधारण    | राशि..... 1102/- | वार्षिक       |
- उक्त राशि एक मुस्त अधवा ह. ....  
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-
- 1- मृत्यु होने पर
  - 2- त्याग-पत्र देने पर
  - 3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
  - 4- प्रबंधकारिणों द्वारा दोषी पाये जाने पर।



अध्यक्ष  
Poojy Chaudhary

मन्त्री  
Kadam Jyoti

कोषाध्यक्ष  
Kailash

अध्यक्ष  
Poojy Chaudhary

मन्त्री  
Kadam Jyoti

कोषाध्यक्ष  
Kailash

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु बैठक सम्पन्न होगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:- संस्था के उपनिधम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्वाचन करेगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- संस्था के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-
- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
  - 2- वार्षिक बजट पारित करना।
  - 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
  - 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधायक, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।  
( जो एजेंड्रा के कार्यालय में फाइल कठया जाकर प्रमायित प्रतिरिति प्राप्त करने पर लागू होगा।
10. साधारण सभा की बैठकें :-
- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
  - 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यापरथक बैठक को सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय नहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
  - 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

16

अध्यक्ष (Rajesh Chaudhary)

Madam Singh  
मन्त्री

Kaishar  
कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :-

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक
2. उपाध्यक्ष-एक
3. मन्त्री-एक
4. कोषाध्यक्ष-एक
5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदानाम परिवर्तन किये जावें, तो यहाँ अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ..... पदाधिकारी व ..... सदस्य कुल ..... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

17

Madam Singh  
मन्त्री

Kaishar  
कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।
  - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
  - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

- 1-अध्यक्ष :
  - 1- बैठकों की अध्यक्षता करना।
  - 2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
  - 3- बैठकें आहूत करना।
  - 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
  - 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 2-उपाध्यक्ष :
  - 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
  - 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
- 3-मन्त्री :
  - 1- बैठकें आहूत करना।
  - 2- कार्यवाही लिखन तथा रिकार्ड रखना।

18

अध्यक्ष  
Rudra Chaudhary

मन्त्री  
Radam Singh

कोषाध्यक्ष  
Kailash

अध्यक्ष  
Rudra Chaudhary

मन्त्री  
Radam Singh

कोषाध्यक्ष  
Kailash

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
  - 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा खिल आदि पास करना।
  - 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
  - 6- पत्र व्यवहार करना।
  - 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
- 4-उपमन्त्री :
- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
  - 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।
- 5-कोषाध्यक्ष :
- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
  - 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
  - 3- चन्द/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
  - 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

6. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

- 1- चन्द
  - 2- शुल्क
  - 3- अनुदान
  - 4- सहायता
  - 5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

19

**17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-**

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुहर स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 21000/-  
 2-मंत्री 11000/-  
 3-कोषाध्यक्ष 5000/-

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 45-32-मन्त्री

2. संस्था का नाम राज. सं. संस्था

3. विस्तृत दस्तावेज

4. दस्तावेज की संख्या 16

5. दिनांक पंजीयन 24-9-07

6. हरदोश्वर रजिस्ट्रार

18. संस्था का अंकेक्षण

उपरोक्त विशेष का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण को नियुक्त प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :-

रजिस्ट्रार संस्थाएँ को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जोखे करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ण की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) विवेक शिखा समिति का सहायता/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

20

**शपथ-पत्र का प्रपत्र**

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था के सहाय पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

- हमारी प्रस्तावित संस्था के पंजीयन हेतु कुल आवेदक सदस्य हैं।
- हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
- प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
- धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था को कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
- प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
- प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।

यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

यदि भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

**सत्यापन**

हम उपरोक्त शपथ ग्रहित सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा दोहरे परिलिखित प्रत्यापित कराना होगा।

21

अध्यक्ष  
 P. S. Chauhan

मंत्री  
 Kailash

कोषाध्यक्ष  
 Kailash

अध्यक्ष  
 P. S. Chauhan

मंत्री  
 Kailash

कोषाध्यक्ष  
 Kailash



कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर ।

22

क्रमांक का/रजि/संस्थायें/ 463

जयपुर, दिनांक 29-9-07

अध्यक्ष/अधी,

श्रीमती रन्धू चौधरी / पयक सिंह काका

पिंके शिखा सीमा

कालवाड जोधनेर रोड जयपुर

विषय : राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में ।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक 453 / जयपुर 2007-08

दिनांक 29-9-07 संलग्न है । जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें ।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचानायें भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शापकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पत्र सहित ।
2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है कि दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो ।
3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो ।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए ।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धो जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने